राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प 2015 ग्राम पंचायत बाघाना
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत बाघाना

प्रकरण सं.– 101/2013 रे0वा0

निर्णय दिनांक– 22.06.2015

अनवान

1. श्री सुआनाथ पिता हजारीनाथ जाति नाथ निवासी चेता तहसील भीम
2. श्रीमति तीजी पत्नि हजारीनाथ जाति नाथ निवासी चेता तहसील भीम

वादीगण

बनाम

1. श्री लक्ष्मणसिंह पिता चूनसिंह जाति रावत निवासी चेता तहसील भीम
2. श्री मनोहरसिंह पिता चूनसिंह जाति रावत निवासी चेता तहसील भीम
3. श्रीमति हगामीदेवी पत्नि चूनसिंह जाति रावत निवासी चेता तहसील भीम
4. श्रीमति जेती पत्नि लालसिंह जाति रावत निवासी चेता तहसील भीम
5. पानी पुत्री लालसिंह जाति रावत निवासी चेता तहसील भीम
6. कमला पुत्री लालसिंह जाति रावत निवासी चेता तहसील भीम
7. उपपंजीयक तहसील भीम
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम

प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 एवं 188 आरटीए

यह कि मौजा चेता पटवार हल्का बाघाना तहसील भीम में निम्न वर्णित आराजियात आई हुई है:–

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा			
		बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी	किस्म
126	466	01	03	10	चाही 3
129	271	00	03	10	गैमु चाह

उक्त वर्णित आराजियात पूर्व में चूना पिता भीमसिंह जाति रावत निवासी चेता के खाते व कब्जे मे थी व उनके द्वारा आराजियात नम्बर 466 में कुल रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म चाही 3 मे से 1/5 हिस्सा व 271 रकबा 03 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म गैमु चाह में से 30 दिन में से हिस्सा साढे चार दिन दिनांक 16 06.2008 को जरिये पंजीकृत विलेख कर वादी संख्या 1 क पिता व वादी संख्या 2 के पति हजारीनाथ को जरिये पंजीकृत विक्रय राशि 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये प्राप्त करते हुए बेचान कर दिया था तथा खरी के पश्चात वादी संख्या 1 व 2 के पिता/पति हजारीनाथ का निरन्तर शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है चाह से हिस्से अनुसार पिलाई करता कराता चला आ रहा है।

वादीगण के पिता/पति अनपढ थे इतना कानून नही समझते थे फिर भी उन्होने अपनी खरीदी हुई भूमि को खाते खोलने हेतु पटवारी को विक्रय विलेख दिया परन्तु कुछ दिन बाद पटवारी द्वारा विक्रेय विलेख पुन लोटाकर यह कहा था कि तुम्हारे नाम पर खरीदा हुआ हिस्सा कर दिया है न इसी आधार पर वादीगण के पिता/पति शांतिपूर्वक काश्त करते व कराते चले आ रहे है। वादी संख्या 1 अपने कब्जे शुदा भूमि की नकल लेने गया तो पटवारी द्वारा यह बताया कि ये भूमि तो आपके नाम पर ही नही है उसने असल विक्रय विलेख पटवारी को बताया तो उसने कहा कि चूनसिंह की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान प्रतिवादीगण के नाम पर उक्त भूमि खुल चुकी है। इसलिये सीधे आपके नाम पर नहीं हो सकती है आप दावा करके ही करवा सकते है।

यह कि चूनसिंह की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 उनके वारिस है उक्त भूमि पर उनका बेचान हिस्सा सम्पूर्ण हक, अधिकार नही रहा है फिर भी उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा हो रहे है ऐसा करने पर वादीगण 1 से कहा कि ये भूमि तो हमारे नाम पर आ गई है इसलिये ये भूमि तो बेच देगे व उसको बेचने हेतु हमने ग्राहक भी ढुंढ लिये है वरना वादीगण अपने हको में महरूम हो जायेंगे व्यर्थ में मुकदमा व विवाद बढेगा। उक्त वर्णित आराजियात में प्रतिवादीगण संख्या 3 के पति चूनसिंह ने पंजीकृत विक्रय विलेख बेचान कर दी गई उनके वारिसान के नाम पर आ जाने मे उक्त विक्रय विलेख में बेचे हुए हिस्से का नामान्तकरण नही खोला जा रहा है इसलिये वादीगण संख्या 1 व 2 के पिता/पति के द्वारा बेचे हुए हिस्से के मालिक व मुख्तीयार घोषित करवाना चाहते है।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प बाघाना** मे पेश हुआ। वादी एवं प्रतिवादीगणो को आपसी समझाईश एवं आपसी सहमति से आराजी खसरा नम्बर 466 मे 04 बिस्वा तथा आराजी नम्बर 271 मे 12 बिस्वांसी जमीन सुआनाथ पिता हजारीनाथ निवासी चेता के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

सहायक कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner